THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-02 | July-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.45

विकसित भारत में युवा वर्ग की सहभागिता: संभावनाएँ, चुनौतियाँ और भावी दिशा

डॉ. मनोज कुमार गौतम

एसोसिएट प्रोफेसर – समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, बरकी, सेवापुरी, वाराणसी

सारांश

वर्ष 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूर्ण करेगा। इस अवसर तक देश को आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, ज्ञान और तकनीक में अग्रणी, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की परिकल्पना "विकसित भारत@2047" के रूप में सामने रखी गई है। यह लक्ष्य केवल सरकार, उद्योग अथवा प्रशासन के प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी सफलता उस युवा पीढ़ी पर निर्भर करेगी जो आज विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअपों और सामुदायिक संगठनों में सक्रिय है। भारत में 15–29 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या वर्ष 2021 में कुल आबादी का 27.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2036 तक इसका अनुपात 22.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, परंतु संख्या तब भी लगभग 34.5 करोड़ होगी। इसलिए भारत के पास एक बड़ा जनसांख्यिकीय अवसर है, किंतु यह अवसर तभी विकास में बदल सकता है जब युवा शिक्षित, स्वस्थ, कुशल, रोजगारयोग्य, नवाचारी और सामाजिक रूप से उत्तरदायी हों।

प्रस्तुत लेख द्वितीयक आँकड़ों और सरकारी दस्तावेजों पर आधारित वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, कृषि, लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण के क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका का विवेचन किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि युवाओं को योजनाओं का निष्क्रिय लाभार्थी न मानकर नीति-निर्माण और स्थानीय विकास का सक्रिय साझेदार बनाया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द: विकसित भारत, युवा सहभागिता, जनसांख्यिकीय लाभांश, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, लोकतंत्र, सामाजिक उत्तरदायित्व।

1. प्रस्तावना

युवा वर्ग किसी राष्ट्र की ऊर्जा, कल्पनाशीलता और परिवर्तन की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। नई तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधारों को स्वीकार करने की गति प्रायः युवाओं के माध्यम से बढ़ती है। वर्तमान समय में यह भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आर्थिक विस्तार के साथ डिजिटल परिवर्तन, जलवायु संकट, रोजगार-सृजन और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

विकसित राष्ट्र का अर्थ केवल अधिक आय अथवा बड़े उद्योग नहीं है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार, समानता, सुरक्षित पर्यावरण, विश्वसनीय संस्थाएँ और नागरिक गरिमा शामिल हैं। इसलिए विकास के अवसर ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, वंचित समुदायों और दिव्यांग युवाओं तक पहुँचना आवश्यक है। विकसित भारत की चर्चा में युवाओं को प्रायः "भविष्य" कहा जाता है, किंतु यह दृष्टि अधूरी है। युवा वर्तमान के भी नागरिक, श्रमिक, विद्यार्थी, मतदाता, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे आज लिए जा रहे आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक निर्णयों के परिणाम

सबसे लंबे समय तक भुगतेंगे। इसलिए उनकी भागीदारी केवल उत्सवों, भाषणों अथवा प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें नीति-परामर्श, स्थानीय संस्थाओं, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और सामुदायिक सेवा में वास्तविक भूमिका मिलनी चाहिए। "विकसित भारत@2047" से जुड़ी आधिकारिक पहल में भी समावेशी, प्रगतिशील और दूरदर्शी भारत के निर्माण के लिए युवाओं से विचार आमंत्रित किए गए हैं। इसका मूल संदेश यह है कि युवा केवल यह न पूछें कि देश उनके लिए क्या करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करें कि वे अपने ज्ञान, व्यवहार और कार्यों से देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं।

2. विकसित भारत और युवा सहभागिता की अवधारणा

विकसित भारत@2047 की परिकल्पना समावेशी, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी है। इसके केंद्र में रोजगार-सृजक अर्थव्यवस्था, ज्ञान और कौशल देने वाली शिक्षा, उत्तरदायी शासन तथा समानता और सामाजिक सद्भाव पर आधारित समाज है। युवा इस दृष्टि में केवल मानव संसाधन नहीं, बल्कि विचारों के स्रोत, तकनीकी परिवर्तन के वाहक और सामाजिक नवाचार के निर्माता हैं।

युवा सहभागिता व्यक्तिगत, सामुदायिक और संस्थागत—तीनों स्तरों पर आवश्यक है। स्वयं को शिक्षित, स्वस्थ और कुशल बनाना व्यक्तिगत योगदान है; स्वच्छता, साक्षरता, जल-संरक्षण और सेवा में भाग लेना सामुदायिक योगदान है; जबकि पंचायत, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप, शोध संस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाना संस्थागत सहभागिता है।

सार्थक सहभागिता वही है जिसमें युवाओं को केवल कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए न बुलाया जाए, बल्कि समस्या की पहचान, योजना-निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में भी भूमिका मिले। उदाहरण के लिए, किसी गाँव में जल-संकट दूर करने की योजना बनाते समय स्थानीय युवाओं के अनुभव, तकनीकी ज्ञान और श्रम को शामिल किया जाए। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में युवाओं को पाठ्यक्रम और शोध की दिशा पर सुझाव देने के औपचारिक अवसर मिलने चाहिए।

3. अध्ययन के उद्देश्य और शोध-पद्धति

इस लेख के प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. विकसित भारत के संदर्भ में युवा वर्ग की जनसांख्यिकीय स्थिति का अध्ययन करना।
2. शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, तकनीक, ग्रामीण विकास, लोकतंत्र और पर्यावरण में युवाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. युवाओं की प्रभावी सहभागिता में बाधक समस्याओं की पहचान करना।
4. युवा सहभागिता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है। इसमें "यूथ इन इंडिया", आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, स्टार्टअप संबंधी सरकारी आँकड़े, निर्वाचन आयोग की सूचनाएँ और युवा कार्यक्रमों के आधिकारिक दस्तावेज प्रयुक्त हुए हैं। आँकड़ों को उनके संदर्भ-वर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. भारत की युवा जनसंख्या: अवसर और उत्तरदायित्व

भारत की बड़ी युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखा जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, 15–29 वर्ष आयु वर्ग का हिस्सा वर्ष 2021 में 27.2 प्रतिशत था। वर्ष 2036 में इसके 22.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, किंतु उस समय भी युवाओं की संख्या लगभग 34.5 करोड़ होगी। यह आँकड़ा बताता है कि भारत के पास उत्पादक आयु समूह की विशाल शक्ति उपलब्ध है, लेकिन यह अवसर स्थायी नहीं है। समय के साथ आयु-संरचना बदलेगी; अतः शिक्षा, कौशल और रोजगार में निवेश को टालना भविष्य की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर सकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश केवल आबादी की आयु से प्राप्त नहीं होता। यदि युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हों, रोजगार उपलब्ध न हो,

स्वास्थ्य कमजोर हो अथवा कौशल बाजार की जरूरतों से मेल न खाएँ, तो बड़ी युवा आबादी आर्थिक लाभ के बजाय सामाजिक तनाव पैदा कर सकती है। वर्ष 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15–29 आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 9.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जो वर्ष 2024 में 10.3 प्रतिशत थी। ग्रामीण युवा बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत और शहरी युवा बेरोजगारी दर 13.6 प्रतिशत रही। इसी रिपोर्ट के अनुसार इस आयु वर्ग के केवल 5 प्रतिशत युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया था और लगभग 25 प्रतिशत युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण—तीनों से बाहर थे। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि भारत की युवा नीति को केवल जनसंख्या की संख्या पर गर्व करने के बजाय उपलब्ध अवसरों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा।

5. शिक्षा और ज्ञान-निर्माण में सहभागिता

शिक्षा विकसित भारत की आधारशिला है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को ऐसे युवाओं की आवश्यकता होती है जो भाषा, गणित और विज्ञान की बुनियादी समझ के साथ आलोचनात्मक चिंतन, संवाद, समस्या-समाधान, डिजिटल साक्षरता और सामूहिक कार्य में दक्ष हों। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा प्रमाणपत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक संवेदना और जीवनभर सीखने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। उच्च शिक्षा के विस्तार में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.50 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत दर्ज किया गया। महिला नामांकन 2.24 करोड़ और महिला सकल नामांकन अनुपात 31.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2023–24 में उच्च शिक्षा का लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 था, जिससे महिला भागीदारी में हुई प्रगति दिखाई देती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित विषयों में नामांकन वर्ष 2023–24 में 1.02 करोड़ था, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत तक पहुँच गई। ये आँकड़े शैक्षिक अवसरों के विस्तार को दर्शाते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में नामांकन और रोजगारयोग्यता के बीच अभी अंतर बना हुआ है। डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अनेक युवा व्यावहारिक अनुभव, संवाद-कौशल और उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। विद्यार्थियों को केवल तैयार ज्ञान ग्रहण करने के बजाय स्थानीय समस्याओं पर परियोजनाएँ बनानी चाहिए। जल, कचरा, विद्यालय-त्याग, स्थानीय उद्यम, जैव-विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अध्ययन शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ सकते हैं। नवाचार प्रयोगशालाएँ, सामाजिक उद्यमिता केंद्र और सामुदायिक इंटर्नशिप इस दिशा में उपयोगी हैं।

शिक्षा में भारतीय भाषाओं की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। केवल अंग्रेजी में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान बड़ी संख्या में युवाओं के लिए बाधा बन सकता है। गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री, डिजिटल पाठ्यक्रम और वैज्ञानिक सामग्री भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी तो ग्रामीण तथा प्रथम-पीढ़ी के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ेगी। शिक्षा को संविधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लैंगिक सम्मान, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और डिजिटल नैतिकता से जोड़ना भी आवश्यक है।

6. कौशल, रोजगार और श्रम की गरिमा

विकसित भारत के सामने सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि आर्थिक विकास कितने सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार उत्पन्न करता है। युवा बेरोजगारी की दर समग्र बेरोजगारी से अधिक होना बताती है कि शिक्षा से काम की दुनिया में प्रवेश सहज नहीं है। डिग्रीधारी युवाओं को अनुभव न होने के कारण अवसर नहीं मिलता, जबकि उद्योगों को आवश्यक कौशल वाले उम्मीदवार नहीं मिलते। यह विरोधाभास शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार बाजार के बीच कमजोर समन्वय का परिणाम है। कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले की उत्पादन संरचना अलग होती है। कहीं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, हस्तशिल्प अथवा वस्त्र उद्योग की अधिक संभावना है तो कहीं निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि-यंत्र, लॉजिस्टिक्स अथवा डिजिटल सेवाओं की माँग हो सकती है।

एक ही प्रकार का प्रशिक्षण पूरे देश में चलाने के बजाय जिला स्तर पर कौशल मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों, उद्योगों, महाविद्यालयों और स्थानीय प्रशासन के बीच नियमित संवाद हो, ताकि पाठ्यक्रम वास्तविक रोजगार से जुड़ सके।

प्रशिक्षण की सफलता प्रमाणपत्रों से नहीं, बल्कि रोजगार, आय, काम की स्थिरता तथा महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी से मापी जानी चाहिए। अप्रेंटिसशिप, भुगतानयुक्त इंटर्नशिप और कार्यस्थल प्रशिक्षण अनुभव तथा रोजगार के बीच की दूरी कम कर सकते हैं। श्रम की गरिमा का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। समाज में कुछ कार्यों को प्रतिष्ठित और कुछ को कमतर समझने की प्रवृत्ति युवाओं के विकल्प सीमित करती है। कुशल तकनीशियन, मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, नर्सिंग सहायक, कृषि-उद्यमी और कारीगर विकसित अर्थव्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और कौशल के आधार पर उन्नति के अवसर उपलब्ध हों तो व्यावसायिक शिक्षा की सामाजिक स्वीकृति बढ़ेगी।

7. उद्यमिता और रोजगार-सृजन

युवा वर्ग को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार उत्पन्न करने वाला भी बनाया जा सकता है। भारत का स्टार्टअप क्षेत्र इस परिवर्तन का उदाहरण है। 31 मार्च 2026 तक 2.23 लाख से अधिक इकाइयों को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई थी। इनसे 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की जानकारी दी गई। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ही 55,200 से अधिक नए स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हुए और लगभग 4.99 लाख प्रत्यक्ष रोजगार बने। मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों में लगभग 1.07 लाख में कम से कम एक महिला निदेशक अथवा भागीदार थी, जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों का लगभग 48 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2026 तक 21,960 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और उनसे लगभग 2.12 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज किए गए। यह प्रवृत्ति बताती है कि युवा उद्यमिता आर्थिक अवसर, क्षेत्रीय विकास, नवाचार और महिला नेतृत्व को मजबूत कर सकती है। फिर भी उद्यमिता को केवल तकनीकी ऐप अथवा बड़े शहरों की निवेश-आधारित कंपनियों तक सीमित नहीं समझना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, जैविक कृषि, स्थानीय परिवहन, मरम्मत सेवा, ई-कॉमर्स, शिल्प, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े छोटे उद्यम अधिक लोगों को आजीविका दे सकते हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित युवा उद्यम पलायन घटा सकते हैं और जिले की आय को स्थानीय अर्थव्यवस्था में बनाए रख सकते हैं।

उद्यम शुरू करने वाले युवा अक्सर पूँजी, बाजार, लेखांकन, कानूनी अनुपालन, ब्रांडिंग और मार्गदर्शन की कमी से जूझते हैं। इसलिए जिला स्तर पर साझा कार्यस्थल, परीक्षण प्रयोगशाला, विपणन सहायता और अनुभवी मार्गदर्शकों का नेटवर्क बनना चाहिए। ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है, परंतु ऋण के साथ बाजार संबंध और व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण न हो तो उद्यम टिकाऊ नहीं बनता। असफलता को कलंक मानने के बजाय सीखने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने वाली सामाजिक संस्कृति भी आवश्यक है।

8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल नागरिकता

युवा वर्ग डिजिटल परिवर्तन का सबसे सक्रिय भागीदार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी, ड्रोन, अंतरिक्ष तकनीक, साइबर सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्र भारत के विकास की दिशा बदल सकते हैं। युवा शोधकर्ता और नवप्रवर्तक इन तकनीकों को भारतीय समस्याओं के समाधान में लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कम लागत वाले स्वास्थ्य उपकरण, किसानों के लिए मौसम और बाजार सूचना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक तकनीक, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएँ और ऊर्जा-कुशल उत्पादन विकसित किया जा सकता है। डिजिटल सहभागिता केवल मोबाइल अथवा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं है। इसमें सूचना की जाँच, निजी डेटा की सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार प्रयोग शामिल है। इसलिए तकनीकी कौशल के साथ डिजिटल नैतिकता का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

तकनीक तक पहुँच में असमानता भी गंभीर है। कमजोर इंटरनेट, उपकरणों की लागत, भाषा और डिजिटल प्रशिक्षण की कमी ग्रामीण तथा कम आय वाले युवाओं को पीछे कर सकती है। विकसित भारत की डिजिटल व्यवस्था तभी समावेशी होगी जब सार्वजनिक डिजिटल केंद्र, पुस्तकालय, सामुदायिक इंटरनेट सुविधाएँ और दिव्यांग-अनुकूल तकनीक उपलब्ध हों। तकनीकी प्रगति का उद्देश्य मनुष्य को पूरी तरह विस्थापित करना नहीं, बल्कि

उसकी क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना होना चाहिए। युवाओं को नई तकनीक का उपभोक्ता बनने के साथ उसका निर्माता, परीक्षक और जिम्मेदार उपयोगकर्ता भी बनना होगा।

9. कृषि, ग्रामीण विकास और स्थानीय आत्मनिर्भरता

भारत के विकसित होने की प्रक्रिया ग्रामीण भारत को पीछे छोड़कर पूरी नहीं हो सकती। ग्रामीण युवा कृषि से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कम आय, अनिश्चित बाजार, छोटे जोत, जलवायु जोखिम और सामाजिक प्रतिष्ठा की समस्या दिखाई देती है। समाधान युवाओं को खेती में बने रहने का उपदेश देना नहीं, बल्कि कृषि को ज्ञान, तकनीक और उद्यमिता से जोड़ना है। युवा किसान मिट्टी परीक्षण, सटीक सिंचाई, मौसम सूचना, ड्रोन, किसान उत्पादक संगठन, भंडारण, प्रसंस्करण और सीधे विपणन के माध्यम से कृषि की उत्पादकता और आय बढ़ा सकते हैं। कृषि के साथ मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, मशरूम, डेयरी, औषधीय पौधे और ग्रामीण पर्यटन जैसी गतिविधियाँ आय के जोखिम को विभाजित करती हैं।

स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और पैकेजिंग होने से कच्चे उत्पाद के बजाय मूल्यवर्धित वस्तु बेची जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसान केवल फल बेचने के बजाय उनसे रस, जैम, सूखे उत्पाद अथवा अन्य खाद्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। इसके लिए गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग, बाजार संपर्क और डिजिटल विपणन का प्रशिक्षण आवश्यक होगा। पंचायतों को ग्रामीण युवाओं के कौशल और उद्यम का डेटाबेस बनाना चाहिए। स्थानीय निर्माण, जल संरक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य जागरूकता और विद्यालय सहायता में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएँ ली जा सकती हैं। इससे युवाओं को अनुभव मिलेगा और पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। ग्रामीण विकास तब अधिक टिकाऊ होगा जब युवा अपने गाँव को अवसरहीन स्थान नहीं, बल्कि नवाचार की प्रयोगशाला के रूप में देखें।

10. लोकतांत्रिक और नागरिक सहभागिता

विकसित भारत का आधार मजबूत लोकतंत्र है। युवा मतदान करते हैं, लेकिन उनकी लोकतांत्रिक भूमिका मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्ष 2024 की अंतिम मतदाता सूची में 18–19 वर्ष आयु समूह के लगभग 1.85 करोड़ और 20–29 वर्ष आयु समूह के लगभग 19.74 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। मतदाता सूची में 18–29 आयु समूह के दो करोड़ से अधिक नए मतदाता जोड़े गए थे। इतनी बड़ी युवा मतदाता संख्या नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

जिम्मेदार राजनीतिक सहभागिता के लिए युवाओं को मुद्दों, संविधान, बजट और सार्वजनिक नीतियों को समझना होगा। जाति, धर्म, अफवाह अथवा तात्कालिक उत्तेजना के आधार पर निर्णय लेने के बजाय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थानीय शासन के प्रदर्शन पर प्रश्न करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है। ग्राम सभा, नगर निकाय बैठक, युवा संसद, सामाजिक अंकेक्षण और जनसुनवाई में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। युवाओं को सूचना के अधिकार, सरकारी बजट, स्थानीय योजनाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए।

"मेरा युवा भारत" केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय मंच है। यह युवाओं को स्वयंसेवा, अनुभवात्मक शिक्षा, नेतृत्व, मार्गदर्शन और सामुदायिक भागीदारी के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करता है। यह मंच 15–29 वर्ष आयु के युवाओं के लिए उपलब्ध है। ऐसे मंच तभी प्रभावी होंगे जब पंजीकरण के बाद युवाओं को वास्तविक, स्थानीय और नियमित कार्य मिलें।

स्वयंसेवा का उपयोग स्थायी रोजगार के विकल्प के रूप में नहीं होना चाहिए, किंतु यह नागरिक संवेदना, नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक अनुभव विकसित करने का प्रभावशाली माध्यम बन सकती है।

11. सामाजिक समावेशन, महिला नेतृत्व और स्वास्थ्य: युवा शक्ति की चर्चा तब अधूरी रहती है जब उसमें युवा महिलाओं, दिव्यांग युवाओं, जनजातीय समुदायों, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की स्थितियों को शामिल न किया जाए। समान अवसर का अर्थ सभी को एक जैसी सुविधा देना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।

उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी बढ़ी है और वर्ष 2023–24 में महिला सकल नामांकन अनुपात पुरुषों से अधिक था। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा में नामांकन 2014–15 के 46.07 लाख से बढ़कर 2023–24 में 69.72 लाख हो गया। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन इसी अवधि में 16.41 लाख से बढ़कर 28.83 लाख हुआ। यह प्रगति महत्त्वपूर्ण है, किंतु केवल नामांकन को पूर्ण सामाजिक समावेशन नहीं माना जा सकता। शिक्षा से रोजगार तक की यात्रा में सुरक्षा, आवागमन, पारिवारिक जिम्मेदारी, देखभाल कार्य और कार्यस्थल की परिस्थितियाँ महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती हैं। छात्रावास, सुरक्षित परिवहन, शिशु देखभाल, लचीले प्रशिक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रभावी व्यवस्था युवा महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ा सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी राष्ट्र-निर्माण से सीधे जुड़ा है। परीक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव, सामाजिक तुलना और डिजिटल जीवन युवाओं में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में गोपनीय परामर्श, खेल, कला, सहपाठी सहायता और नशामुक्ति जागरूकता उपलब्ध होनी चाहिए।

खेल को केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वास्थ्य, टीम भावना और सामाजिक समावेशन का साधन समझना चाहिए। ग्रामीण और कम आय वाले युवाओं के लिए खेल मैदान, प्रशिक्षक और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना मानव विकास में निवेश है।

12. पर्यावरण और सतत विकास में युवाओं की भूमिका

विकसित भारत पर्यावरण को नष्ट करके नहीं बनाया जा सकता। जल संकट, वायु प्रदूषण, भूमि क्षरण, कचरा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर सबसे अधिक पड़ेगा। युवा अपने दैनिक व्यवहार और सामुदायिक पहलों के माध्यम से ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन, एकल-उपयोग प्लास्टिक में कमी, जल संरक्षण और कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा दे सकते हैं। महाविद्यालयों और युवा समूहों को स्थानीय पर्यावरण लेखा तैयार करना चाहिए। इसमें यह देखा जा सकता है कि परिसर अथवा गाँव में कितना पानी उपयोग होता है, कितना कचरा निकलता है, कौन-से जलस्रोत खराब हो रहे हैं और किन क्षेत्रों में हरित आवरण घट रहा है।

वृक्षारोपण तभी सार्थक है जब पौधों की प्रजाति स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो और कई वर्षों तक उनकी देखभाल की जाए। केवल पौधे लगाकर फोटो लेने से पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। युवा जल समितियों, जैव-विविधता दस्तावेजीकरण, स्वच्छ ऊर्जा उद्यम और आपदा तैयारी में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरित अर्थव्यवस्था रोजगार का नया क्षेत्र है। सौर उपकरणों की स्थापना, ऊर्जा ऑडिट, इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव, कचरा पुनर्चक्रण, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि के लिए प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी। कौशल विकास योजनाओं में हरित कौशल को प्रमुख स्थान देना आर्थिक और पर्यावरणीय—दोनों दृष्टियों से उपयोगी होगा।

13. युवा सहभागिता के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

युवाओं की प्रभावी सहभागिता के मार्ग में कई संरचनात्मक चुनौतियाँ उपस्थित हैं। पहली चुनौती शिक्षा और रोजगार के बीच असंगति है। बड़ी संख्या में युवा डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनमें व्यावहारिक कौशल, संचार, समस्या-समाधान और कार्य-अनुभव की कमी रहती है।

दूसरी चुनौती रोजगार की गुणवत्ता है। अस्थायी, अनौपचारिक और कम वेतन वाले काम से तत्काल आय तो मिल सकती है, परंतु सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित नहीं होती। रोजगार की संख्या के साथ वेतन, सुरक्षा, कार्य-परिस्थिति और उन्नति की संभावना भी देखी जानी चाहिए।

तीसरी चुनौती अवसरों की असमानता है। महानगरों, निजी विद्यालयों और संपन्न परिवारों के युवाओं को भाषा, तकनीक, नेटवर्क और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मिलती है, जबकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को बुनियादी अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

चौथी चुनौती लैंगिक और सामाजिक बाधाएँ हैं, जो प्रतिभा होने के बावजूद युवाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व से बाहर रखती हैं। दिव्यांग युवाओं के लिए भवन, परिवहन, डिजिटल सामग्री और कार्यस्थल सुलभ न होना भी सहभागिता में बाधा है। पाँचवीं चुनौती मानसिक तनाव और अनिश्चितता

है। प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी और असफलता का दबाव युवाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। छठी चुनौती डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक सूचना, घृणात्मक सामग्री, साइबर अपराध और त्वरित सफलता की अवास्तविक छवियाँ हैं।

सातवीं चुनौती नीति-निर्माण में युवाओं की सीमित भूमिका है। उनसे सुझाव तो माँगे जाते हैं, लेकिन निर्णय और मूल्यांकन की स्थायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी कम रहती है। कई युवा कार्यक्रम केवल एक-दिवसीय आयोजन अथवा प्रमाणपत्र वितरण तक सीमित रह जाते हैं। इन चुनौतियों के कारण युवाओं में निराशा, पलायन अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है। अतः युवा नीति को अलग-अलग योजनाओं के समूह के बजाय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और नागरिक सहभागिता को जोड़ने वाले समेकित ढाँचे के रूप में लागू करना होगा।

14. प्रभावी युवा सहभागिता के लिए भावी कार्ययोजना

सबसे पहले प्रत्येक जिले में "युवा विकास सूचकांक" तैयार किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, खेल, उद्यमिता और नागरिक भागीदारी से संबंधित संकेतक शामिल हों। इससे स्थानीय समस्याओं और प्रगति दोनों की पहचान की जा सकेगी।

जिला योजना समितियों तथा शहरी स्थानीय निकायों में युवा परामर्श परिषद बनाई जा सकती है। इसमें युवा महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

दूसरा, विद्यालय से विश्वविद्यालय तक अनुभवात्मक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए। विद्यार्थी स्थानीय समस्या की पहचान करें, समुदाय के साथ समाधान तैयार करें और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। औपचारिक प्रमाणपत्र के साथ वास्तविक परियोजना, इंटर्नशिप और सामाजिक कार्य को शैक्षणिक क्रेडिट दिया जा सकता है।

तीसरा, कौशल प्रशिक्षण के साथ भुगतानयुक्त अप्रेंटिसशिप और रोजगार सहायता आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रदाताओं का मूल्यांकन नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या, आय, रोजगार की स्थिरता और नियोक्ता संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए परिवहन, आवास, डिजिटल उपकरण तथा प्रशिक्षण भत्ता उपलब्ध कराया जाए।

चौथा, स्थानीय उद्यमिता को विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, उद्योगों और बैंकों से जोड़ा जाए। प्रत्येक जिले में उद्यम सहायता केंद्र व्यवसाय योजना, पंजीकरण, कर, गुणवत्ता, ई-कॉमर्स और विपणन में मार्गदर्शन दें। सरकारी खरीद में गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले युवा उद्यमों को पारदर्शी अवसर मिलने चाहिए।

पाँचवाँ, शोध और नवाचार को सामाजिक आवश्यकता से जोड़ा जाए। छात्र और युवा वैज्ञानिक स्वास्थ्य, कृषि, जल, कचरा, दिव्यांगता और स्थानीय भाषा तकनीक पर कम लागत वाले समाधान विकसित करें। सार्वजनिक धन से बने नवाचारों की उपयोगिता, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए।

छठा, लोकतांत्रिक शिक्षा को व्यवहार से जोड़ा जाए। युवा संसद के साथ ग्राम सभा में भागीदारी, बजट अध्ययन, सूचना के अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण और तथ्य-जाँच का प्रशिक्षण दिया जाए। राजनीतिक दलों और निर्वाचित निकायों में युवा भागीदारी केवल प्रचार तक सीमित न हो; उन्हें नीति, संगठन और निर्णय की जिम्मेदारी भी दी जाए।

सातवाँ, मानसिक स्वास्थ्य और खेल को युवा विकास का अनिवार्य भाग बनाया जाए। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित परामर्श सेवा, संकट सहायता और खेल सुविधा उपलब्ध हो। आठवाँ, डिजिटल नागरिकता तथा साइबर सुरक्षा को सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

अंततः नीति की सफलता पंजीकरण अथवा प्रमाणपत्रों की संख्या से नहीं, बल्कि जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन से मापी जानी चाहिए। कितने युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिला, कितने उद्यम कई वर्षों तक चले, कितनी महिलाओं की आय बढ़ी और कितने स्थानीय समुदायों की समस्याएँ हल हुईं—ये अधिक उपयोगी मूल्यांकन संकेतक होंगे।

15. निष्कर्ष

विकसित भारत का लक्ष्य युवा वर्ग की सक्रिय सहभागिता के बिना पूरा नहीं हो सकता। भारत की युवा आबादी देश को असाधारण अवसर देती है, किंतु जनसांख्यिकीय लाभांश अपने-आप उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगारपरक कौशल, सम्मानजनक काम, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, नवाचार और लोकतांत्रिक अवसरों में दीर्घकालिक निवेश करना होगा।

युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी अथवा चुनावी संख्या समझना उनकी क्षमता को सीमित करना है। वे स्थानीय समस्याओं के समाधानकर्ता, रोजगार-सृजक, वैज्ञानिक, किसान-उद्यमी, जागरूक मतदाता और सामाजिक नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं।

सरकार को अवसर और संस्थागत ढाँचा देना होगा; शिक्षण संस्थानों को ज्ञान को जीवन से जोड़ना होगा; उद्योगों को प्रशिक्षण और उचित रोजगार देना होगा; तथा युवाओं को भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों, परिश्रम, सत्यनिष्ठा और सामाजिक संवेदना को अपनाना होगा।

विकसित भारत कोई एक तिथि पर प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। जब प्रत्येक युवा को अपनी क्षमता विकसित करने, निर्णयों में आवाज उठाने और समाज के लिए उपयोगी कार्य करने का अवसर मिलेगा, तभी वर्ष 2047 की परिकल्पना जनभागीदारी पर आधारित वास्तविक राष्ट्रीय उपलब्धि बन सकेगी।

संदर्भ सूची

भारत निर्वाचन आयोग। (2024)। *आगामी आम चुनावों के लिए देश में 96.88 करोड़ से अधिक मतदाताओं का पंजीकरण।* भारत सरकार।

भारत सरकार। (2023)। *विकसित भारत@2047 के विजन हेतु विचार।* माईगव एवं इनोवेट इंडिया।

मेरा युवा भारत। (2026)। *मेरा युवा भारत: राष्ट्रीय युवा नेतृत्व एवं सामाजिक सहभागिता मंच।* युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार।

शिक्षा मंत्रालय। (2026)। *अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2022–23 एवं 2023–24 के प्रमुख निष्कर्ष।* भारत सरकार।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2022)। *यूथ इन इंडिया 2022: नीतियाँ और कार्यक्रम।* भारत सरकार।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2026)। *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: वार्षिक रिपोर्ट 2025।* भारत सरकार।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। (2026)। *मान्यता प्राप्त स्टार्टअपों की संख्या 2.23 लाख से अधिक तथा 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन।* पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।

Cite this Article:

गौतम, डॉ. मनोज कुमार. (2026). विकसित भारत में युवा वर्ग की सहभागिता: संभावनाएँ, चुनौतियाँ और भावी दिशा. The Research Dialogue, 5(2), 423–430, Volume-05, Issue-02, July-2026. DOI: https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.45

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. मनोज कुमार गौतम

विकसित भारत में युवा वर्ग की सहभागिता: संभावनाएँ, चुनौतियाँ और भावी दिशा

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-02, Month July, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73/ 6.79)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i2.45